790
07.04.21

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः– एफ. 4(2)/केटे/सान्याअवि/21/18491 जयपुर, दिनांक 7/4/21

सीमित निविदा

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विभागीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु **परिशिष्ठ 'अ'** में अंकित 5 कूलिंग प्लान्ट्स, तीन आर0ओ0 एवं दो वाटर कूलर राशि रु. 01.80 लाख तक वार्षिक रख–रखाव संचालन एवं संधारण कार्य करवाया जाना है। इस हेतु पंजीकृत संव्यवहारियों/व्यक्ति/फर्म से दर अनुमोदन हेतु सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है। सीमित निविदा दिनाक 12/4/2021 को दोपहर 12.00 बजे तक सीलबंद लिफाफे में निदेशालय कक्ष संख्या 02 में प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्राप्त सीमित निविदा को उसी दिन दोपहर 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष अतिरिक्त निदेशक सतर्कता एवं प्रशासन के कक्ष संख्या 301 में खोला जायेगा।

शर्तें

1 निदेशालय में स्थापित 5 कूलिंग प्लान्ट्स का रखरखाव संचालन एवं संधारण(6 माह हेतु)
2 तीन आर0ओ0(दो आर0 ओ0 50 एलपीएच, 1 आर0 ओ0 15 एलपीएच)रिपेयरिंग,संचालन एवं रख–रखाव(एक वर्ष तक)कार्य करना होगा।
3 दो वाटर कूलर को पूर्णरूप से रिपेयर,संचालन एवं रख–रखाव(एक वर्ष तक)कार्य करना होगा।

फर्म द्वारा संचालन,संधारण एवं रख–रखाव कार्य हेतु दर प्रारूप **परिशिष्ठ 'ब'** में प्रस्तुत की जावेगी।

(द्वारका प्रसाद गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)

क्रमांकः– एफ. 4(2)/केटे/सान्याअवि/21/18492-97 जयपुर, दिनांक 7/4/21

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव,निदेशक महोदय सान्याअवि जयपुर ।
2. क्रय समिति सदस्य.. मुख्यावास।
3. कोषाधिकारी कोष कार्यालय जयपुर ।
4. संयुक्त निदेशक(कम्प्यूटर)एसपीपीपी,को पोर्टल पर प्रदर्शित करने हेतु।
5. सहायक लेखाधिकारी भुगतान
6. नोटिस बोर्ड, मुख्यावास।

(चाँद मल वर्मा)
उप निदेशक (प्रशासन)

Email- raj.sje@rajasthan.gov.in ADA Phone :-0141 2220194

प्रतिबन्ध एवं शर्ते

(1) पाँच कूलिंग प्लान्ट्स का संचालन,संधारण एवं रख–रखाव कार्य।

1 मुख्यालय भवन में स्थित कूलिंग प्लान्ट्स के संचालन एवं संधारण का पूर्ण दायित्य फर्म का होगा।
2 विद्युत खर्च विभाग द्वारा वहन किया जावेगा। विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन/पाईन्ट उपलब्ध है तथा अन्य विद्युत यंत्र खराब होने पर लगने वाली सामग्री का व्यय विभाग द्वारा एवं ठीक करवाकर लगाने का कार्य फर्म को करना होगा।
3 कूलिंग प्लान्ट्स के संचालन हेतु बिल का भुगतान उप निदेशक,प्रशासन/केयर टेकर द्वारा प्रमाणित किये जाने पर किया जायेगा।
4 कार्य के दौरान आपरेटर/कर्मचारी की मृत्यु/किसी भी रूप में अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं इसके लिए मुआवजे आदि देने का भार फर्म का होगा। विभाग इसके लिए किसी भी प्रकार से मददगार एवं जिम्मेदार नहीं होगा।
5 फर्म द्वारा विभागीय भवन की छत पर स्थापित 5 कूलिंग प्लान्ट्स का भली प्रकार निरीक्षण कर लेवे। मशीन में कोई भी खराबी होने पर ठीक करवाने के संबंध में पार्टस को खोलने, ठीक करवाने के लिए ले जाने व लाने एवं पुनः स्थापित करने सहित समस्त कार्य फर्म को करना होगा।
6 विद्युत आईसोलेटर 4 पोल/पैनल की एम.सी.बी. 3 पोल/मोटर एम.सी.बी. 2 पोल/स्वीच बटन पैनल/ब्लोअर की मोटर/वाटर पम्प/फैन बैल्ट/रिले/स्टारडेल्टा/2.5 थ्री कोर केबल व अन्य फिटिंग खराब होने जल जाने पर खोलने एवं बदलने का कार्य फर्म द्वारा किया जावेगा सामान विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।
7 कार्य दिवसों में कूलिंग प्लान्ट प्रातः 9.00 बजे चालू एवं सायं 7.00 बजे बंद करने व दिन भर संचालन एवं संधारण की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। आवश्यकतानुसार अवकाश के दिवसों में कूलिंग प्लान्ट्स संचालन फर्म द्वारा किया जावेगा।
8 फर्म द्वारा कूलिंग प्लान्ट्स सुचारू कार्यदिवसों में संचालन नहीं करने की स्थिति में प्रतिदिन 250/–प्रति प्लान्ट की कटोती की जावेगी। फर्म द्वारा अतिरिक्त कोई भी जोडी गई शर्त मान्य नहीं होगी।
9 उक्त कार्य 6 माह की अवधि हेतु दिया जायेगा। मौसम की आवश्यकतानुसार समयावधि एक माह और बढाई जा सकेगी।
10 ठेके की अवधि में यदि विवाद उत्पन्न हो जाए उस विवाद में निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

Email- raj.sje@rajasthan.gov.in ADA Phone :-0141 2220194

(2) तीन आर0ओ0 रिपेयरिंग एवं वार्षिक रख–रखाव कार्य।

1– विभाग में स्थापित 3 आर0ओ0 को पूर्णरूप से रिपेयर,संचालन एवं वार्षिक रख–रखाव कार्य करना होगा।

2– तीनों आर0ओ0 की वाटर कूलर में तृतीय मंजिल पर दोनो 500 लीटर की टंकियों में सप्लाई हमेशा रखनी होगी।

3– भूतल,प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय तल पर आर0ओ0 एवं वाटर कूलर की टंकियों के आउटपुट पाईप लाईन की नलों में पानी की सप्लाई रखनी होगी।

4– तीनों आर0ओ0का निरीक्षण करने के पश्चात् एक वर्ष की कार्यावधि हेतु समस्त करों सहित रखरखाव,संचालन एवं संधारण की दरें प्रस्तुत करें। वार्षिक रख–रखाव अवधि में विद्युत खर्च के अतिरिक्त विभाग के स्तर से कोई राशि देय नहीं होगी। समस्त रख–रखाव सामग्री का व्यय विभाग द्वारा किया जायेगा।

5– आर0ओ0 खराब होने पर फर्म द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बर पर शिकायत दर्ज करने पर उसी दिन खराबी ठीक करनी होगी। मोबाईल नम्बर परिवर्तन की स्थिति में लिखित में सूचना देनी होगी। कार्य समय पर नहीं करने पर प्रतिदिन 100/–की कटोती की जायेगी। पुनरावृति होने पर कटोती राशि में वृद्धि की जा सकती है।

6–यह कार्य एक वर्ष के लिए किया जाना है जिसे आपसी सहमति से नियमानुसार बढाया जा सकेगा।

(3) दो वाटर कूलर रिपेयरिंग एवं वार्षिक रख–रखाव कार्य।

1– विभाग में स्थापित दो वाटर कूलर को पूर्णरूप से रिपेयर रख–रखाव एवं संचालन करना होगा।

2– दो वाटर कूलर की तृतीय मंजिल पर दोनो 500 लीटर की टंकियों में सप्लाई हमेशा रखनी होगी।

3– भूतल, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल पर वाटर कूलर की टंकियों के आउटपुट पाईप लाईन की नलों में पानी की सप्लाई रखनी होगी।

4– दोनों वाटर कूलर का निरीक्षण करने के पश्चात् एक वर्ष की कार्यावधि में लगने वाले समस्त सामग्री सहित दरें प्रस्तुत करें। वार्षिक रख–रखाव अवधि में विद्युत खर्च के अतिरिक्त विभाग के स्तर से कोई राशि देय नहीं होगी। समस्त रख–रखाव सामग्री का व्यय विभाग द्वारा किया जायेगा।

5– दोनो वाटर कूलर खराब होने पर फर्म द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बर पर शिकायत दर्ज करने पर उसी दिन खराबी ठीक करनी होगी। मोबाईल नम्बर परिवर्तन की स्थिति में लिखित में सूचना देनी होगी। कार्य समय पर नहीं करने पर प्रतिदिन 100/–की कटोती की जायेगी। पुनरावृति होने पर कटोती राशि में वृद्धि की जा सकती है।

6–यह कार्य एक वर्ष के लिए किया जाना है जिसे आपसी सहमति से नियमानुसार बढाया जा सकेगा।

समस्त कार्यो के उपयोग में होने वाली सामग्री विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी तथा पुरानी सामग्री को उतारने एवं नई सामग्री लगाने का कार्य फर्म द्वारा किया जावेगा। अनुपयोगी/उतारी गई सामग्री स्टोर में जमा करायी जानी आवश्यक होगी।

Email- raj.sje@rajasthan.gov.in ADA Phone :-0141 2220194

परिशिष्ठ–'ब'

फर्म का नामः ....

फर्म का पताः ....

....

....

रजिस्ट्रेशन / पंजीयन संख्याः ....

पैन नम्बरः ....

जी.एस.टी. ....

क.सं.	कार्य का विवरण	दर प्रतिमाह(समस्त करों सहित)	अन्य व्यय
1	5 कूलिंग प्लान्ट्स का संचालन एवं रखरखाव / संधारण / रिपेयरिंग		
2	3 आर0ओ0 का संचालन एव रखरखाव / रिपेयरिंग		
3	2 वाटर कूलर का संचालन / रिपेयरिंग एवं रखरखाव		
	कुल दर प्रतिमाह(समस्त करों सहित)		

संवेदक

Email- raj.sje@rajasthan.gov.in ADA Phone :-0141 2220194